FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2020

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 20/01/2020 16:26 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/01/2020 **Time (समय):** 16:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 008 **Date and Time (दिनांक और समय):** 20/01/2020 16:26 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): अम्बाला,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक रशपाल सिंह

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1963 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**SVB Ambala, Ambala, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**SVB Ambala, Ambala, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	नवीन सैनी सहायक निदेशक			1. सहायक निदेशक औधौगिक,एंव स्वास्थय कैमिकल अम्बाला AMBALA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12.

First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल तहरीर इस प्रकार से है:- सेवा मे, प्रबन्धक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला। श्री मान जी, निवेदन है कि, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 6/10/2019-3 चौकसी-1 दिनांक 30.12.2019 अनुसार महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्याल मे दर्ज रजिस्ट्र होकर उनके कार्यालय के पृष्ठांक क्रमांक 72/आई-1/रा.चौ.ब्यूरो (ह) दिनांक 03.01.2020 व पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला के डायरी क्रमांक 25 दिनांक 07.01.2020 अनुसार मुकदमा दर्ज करने बारे प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार उप निदेशक औधोगिक सुरक्षा एंव स्वास्थय कैमिकल अम्बाला के पत्र क्रमांक 66 दिनांक 23.01.2019 के अनुसार आरोप था कि, सहायक निदेशक औधोगिक सुरक्षा एंव स्वास्थय कैमिकल अम्बावला द्वारा पंजीकरण न. 06010016602 पर रजिस्टर्ड श्रमिका श्री मति कृष्णा देवी वासी गांव बरसाना जिला कैथल का रजिस्ट्रैशन दिनांक 27.11.2017 को श्री नवीन सैणी, सहायक निदेशक औधौगिक सुरक्षा एंव स्वास्थय कैमिकल अम्बाला द्वारा किया गया, जिनके पास जिला पंचकुला व कैथल का भी अतिरिक्त कार्यभार था। उन्होने जिला पंचकुला मे उपरोक्त महिला का रजिस्ट्रेशन कर दिया । श्रमिका की मृत्यु प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार 19.02.2018 को होनी दिखाई है जबकि श्रमिका की मृत्यु असल मे दिनांक 19.01.2018 को ही हो चुकी थी। इस प्रकार पंचजीकरण न. 06010016152 पर रजिस्टर्ड श्रमिक श्री सस्ता राम गांव बुडा खेरा जिला कैथल का रजिस्ट्रेशन दिनांक 27.11.2017 को उपरोक्त अधिकारी द्वारा पंचकुला मे कर दिया गया था। श्रमिक की मृत्यु दस्तावेजों अनुसार 20.02.2018 को हो गई, जबकि श्रमिक की मृत्यु असल मे दिनांक 20.01.2018 को ही हो चुकी थी। इसी प्रकार दिनांक 27.11.2017 को श्रमिक श्री सोहन सिंह/ सोहन लाल गांव पुण्डरी जिला कैथल की पंजीकरण न. 06010016767 भी उपरोक्त अधिकारी द्वारा ही रजिस्ट्रड किया। श्रमिक की मृत्यु प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार 17.03.2018 को हो गई, जबकि श्रमिक की मृत्यु असल मे दिनांक 17.01.2018 को ही हो चुकी थी। जांच से पाया गया कि, उपरोक्त सभी पंजीकरण संख्य़ाओं अनुसार प्रति आवेदक 2,15,000/- रुपये कुल 6,45,000/- रुपये का गबन किया गया है। इसके अलावा श्रमिक बलविन्द्र सिंह गांव कडौली जिला यमुनानगर का पंजीकरण न. 06010016739 उपरोक्त अधिकारी द्वारा द्वारा रजिस्टर्ड किया हुआ है। प्रस्तु दस्तावेजों अनुसार श्रमिक की मृत्यु 06.05.2018 को हो गई जबकि उक्त श्रमिक की मृत्यु असल मे दिनांक 16.01.2018 को ही हो चुकी थी। जांच से पाया गा कि, उपरोक्त पंजीकरण श्रमिक का झुठा मृत्यु प्रमाण-पत्र तैयार करके उपरोक्त अधिकारी की गलत सिफारिश के कारण श्रमिक को 1,15,000/- रुपये की बजाये 2,15,000/- रुपये की राशि स्वीकृत हो गई, जिसमे 1,00,000/- रुपये का गबन किया जाना पाया गया है। इसी प्रकार पंजीकरण न. 0605066314 अनुसार श्रमिक श्री भजना राम सपुत्र श्री सोरण निवासी गांव सेगा प्लाट चीका जिला कैथल का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। सहायक निदेशक औधौगिक सुरक्षा एंव स्वास्थय कैमिकल अम्बाला के कार्यालय मे केलो देवी धर्मपत्नी स्व. श्री भजना राम द्वारा भई अपने पति का आवेदन किया हुआ है। इस आवेदन को श्री नवीन सैणी द्वारा वैरिफाई एंण्ड रिकमैण्ड किया गया है। उक्त आवेदन सहायक निदेशक औधौगिक सुरक्षा एंव स्वास्थय कैमिकल अम्बाला दवारा दिनांक 26.07.2018 को स्वीकृत कर दिया गया था तथा 1,15,000/- रुपये की राशि जारी हो गई। पंजीकरण न. 0605066314 श्री भजना राम का ना होकर श्री मति बेबी धर्मपत्नी श्री रामपाल गांव म्योली जिला कैथल का है तथा भजना राम का कोई रजिस्ट्रेशन ही नही है। इस प्रकार बिना रजिस्ट्रेशन के किसी की झुठी कापी बनाकर झुठा आवेदन तैयार करवाकर उसे लाभ दिलवा दिया जाना पाया गया जिससे बोर्ड को 1,15,000/- रुपये का गबन होना पाया गया है। इसके अतिरिक्त श्री विनोद सपूत्र श्री राम दिया का पंजीकरण न. 0605079936 दिनांक 21.12.2017 को कर दिया गया, जबकि उसकी मृत्यु दिनांक 01.12.2017 को ही हो चुकी थी। इस मामले मे भी गबन का प्रयास किया गया। पंजीकरण न. 0605073770 दिनांक 13.11.2017 पर श्री नरेश कुमार की मृत्यु लाभ का मामला भी संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त श्रमिका बीरो देवी व मीरो देवी जोकि एक ही महिला है की मृत्यु उपरांत उसके आश्रित श्री अंग्रेज राम द्वारा मृत्यु लाभ लेने हेतू दो अलग-अलग आवेदन भिन्न-भिन्न तिथियों मे स्वीकृति हेतू भेजे गये। दोनो आवेदन उक्त अधिकारी द्वारा जारी किये हुए हैं परन्तु आवेदन फार्म पर लगी फोटो अलग-अलग है। जो आवेदन करके 2,15,000/- की राशि का गबन करने की कोशिश की जानी पाई गई है। दिनांक 23.04.2018 को 500 श्रमिक महिलाओं का सिलाई मशीन के लिये राशि स्वीकृत की थी उनमे से 77 पुरुषों जिनको सिलाई मशीन का लाभ ही नही दिया जा सकता था उनको सिलाई मशीन बांट दी जो 2,69,500/- रुपये की राशि गलत स्वीकृत करनी पाई गई है। उस प्रकार झूठे दस्तावेजों के कारण बोर्ड का लगभग 8,60,000/- रुपये की राशि का गबन करना पाया गया है। रिकार्ड मे अथोर्टी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों मे फेरबदल करके व मृत्यु उपरांत व्यक्तियों का श्रमिकों के रुप मे पंजीकरण पिछली तिथियों मे करके बोर्ड को करोडों रुपये का चूना लगाया जाना प्रतीत हो रहा है। श्री नवीन सैणी, सहायक निदेशक औधौगिक सुरक्षा एंव स्वास्थय कैमिकल अम्बाला द्वारा अन्य अधिकारीयों से मिलीभगत करके तथा उक्त

श्रमिकों के आश्रित जिन्होंने उपरोक्त स्कीमो का लाभ उठाया के विरुध धारा 409,420,467,468,471,120-बी भा.द.सं., 13(1)d R/W, 13(2) PC Act के तहत मुकदमा दर्ज करके अभियोग फाईल रिकार्ड सहित निरीक्षक निरीक्षक रमेश कुमार, रा.चौ.ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र के पास अगामी अनुसंधान हेतू भेजी जाए। sd रशपाल सिंह (रशपाल सिंह) निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला। दिनांक 20.01.2020. अज- कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल,अम्बाला। अज थाना – लिखित लेख उपरोक्त बाजूर्म उपरोक्त थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 1 दिनांक 20.01.2020 धारा 409,420,467,468,471,120-बी भा.द.सं., 13(1)d R/W, 13(2) PC Act थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट बादस्त ई.एच.सी. धर्मयुधिष्टर न. 1348/अम्बाला के ड्युटी मैजिस्ट्रैट साहब अम्बाला व सम्बन्धित अफसरानबाला मे तथा नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर मय रिकार्ड आगामी अनुसंधान हेतू बादस्त सि. नवीन कुमार न. 5/804 के द्वारा निरीक्षक रमेश कुमार, रा.चौ.ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र के पास भेजी जा रही है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.** 2 **में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Ramesh Kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 22g **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Suresh Kaushik

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Error: Subreport could not be shown.